

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/15-16/ 5769

दिनांक: 4/8/15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
राजस्थान। (जिला भरतपुर को छोड़कर)

विषय:- नगरपालिका आम चुनाव अगस्त, 2015- नाम निर्देशन पत्र के साथ लिए जाने
वाले उपाबंध-II को 20/- के स्टाम्प पर लिए जाने के संबंध में
संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 5711 दिनांक 03.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आयोग का पत्रांक 7706 दिनांक 08.11.14 संलग्न प्रेषित किया गया था। संलग्न पत्र के अनुसार नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले उपाबंध-II को 10 रुपये के स्टाम्प पर लेने के दिशा-निर्देश प्रदान किए गए थे।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 10038 दिनांक 04.08.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि बजट 2015-16 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त अधिनियम, 2015 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल-4 में संशोधन कर दिनांक 09.03.15 के प्रभाव से शपथ पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई है।

अतः इस संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि उपाबंध-II को 10 रुपये के स्थान पर 20 रुपये के स्टाम्प पर लिया जाए। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उपाबंध-II को 10 रुपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत कर दिया गया है, उनसे 10 रुपये का अतिरिक्त स्टाम्प प्राप्त कर लिया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसे अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन पत्र उपाबंध-II को 10 रुपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाए।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार जैन)
सचिव